

1/11/16  
02/08/16

## उपायुक्त का कार्यालय (जिला राजस्व शाखा) गिरिडीह।

पीरटॉड अंचल के अन्तर्गत पारसनाथ में कार पार्किंग एवं बस स्टेण्ड निर्माण हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादी) के संबंध में अनापत्ती प्रमाण पत्र।

Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादी) जो निम्नवत है:-

| क्रमांक | वन भूमि का स्थल (अंचल) | जिला    | वन प्रमण्डल             | मौजा का नाम | थाना नं० | खाता नं० | प्लॉट नं० | रकबा (एकड़ में) |
|---------|------------------------|---------|-------------------------|-------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| 1.      | पीरटॉड                 | गिरिडीह | गिरिडीह पूर्वी प्रमण्डल | खपैयबेड़ा   | 99       | 01       | 70        | 4.00            |

कुल रकबा 4.00 एकड़ में सन्नहित है। तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्त एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि का हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

En

उपायुक्त, गिरिडीह।

ज्ञापांक .....1931...../रा. दिनांक .....02/08/ 2016

- प्रतिलिपि: कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) कार्य प्रमण्डल, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि: वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि: सरकार के विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि: आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि: जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एन.आई.सी. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के Website पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

W 20/08/16

उपायुक्त, गिरिडीह।